दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार, 9 अप्रैल, 1999/चैत्र 19, 1921 (शक)

संख्या-16

अप. 2.00 बजे

तारांकित प्रश्न

1. तारांकित प्र.सं. 221 से 228, 230 एवं 231 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये ।

   तारांकित प्र.सं. 229 एवं 232 से 240 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अतारांकित प्रश्न

2. अतारांकित प्रश्न संख्या-427 से 452 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अप. 3.00 बजे

सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र

3. श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित प्रत्येक कागजातों की प्रति सदन पटल पर रखी :-

   1. वर्ष 1997-98 के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विनियोग लेखे ।
   2. वर्ष 1997-98 के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त लेखे ।
   3. 31.3.1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

अप. 3.01 बजे

4.(ए).(ए) श्री हरशरण सिंह बल्ली ने श्री भीष्म शर्मा के विरुद्ध दी गई अपने विशेषाधिकार हनन की सूचना के हश्र, जिन्होंने उनके कथनानुसार 8 अप्रैल, 1999 को सदन में उन पर हमला करने की कोशिश की थी और उनका माईक भी तोड़ दिया था, के बारे में जानना चाहा। जब अध्यक्ष महोदय ने सदस्य को जानकारी दी कि नियम 68 के

अंतर्गत संबंधित सदस्य को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, तब विरोधी दल के सदस्य आग्रह करने लगे कि चूंकि घटना सदन में ही घटी थी, इसलिये सदस्य को सुनवाई का अवसर देना कतई जरूरी नहीं है । अतएव, अध्यक्ष महोदय ने मामले को जांच-पड़ताल के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया ।

3.08 बजे
(ख) श्री अजय माकन ने भी प्रो॰ जगदीश मुखी के विरुद्ध, कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित अपने बयान में अध्यक्ष महोदय के ऊपर गंभीर लांछन लगाने के लिये दी गई अपने विशेषाधिकार हनन की सूचना के बारे में अध्यक्ष महोदय से जानकारी मांगी । अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि यह मामला भी विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है ।

3·21 बजे **विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन**

अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से संतुष्ट न होने पर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

3·27 बजे **विशेष उल्लेख**

5· निम्नलिखित सदस्यों ने नियम-287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये -

1· श्री वीर सिंह

2· श्री जय भगवान
(स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया)

3· श्री नन्द किशोर गर्ग

4· श्री नरेश गौड़

5· श्री मोहन सिंह बिष्ट

6· श्री सुशील चौधरी

7· श्री हरशरण सिंह बल्ली
(मुख्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया)

8· श्री सुभाष चोपड़ा

3.55 बजे **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक**

6. श्रीमती किरण चौधरी ने सदन की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित किया ।

4.30 बजे **गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प**

7.(ए) डा. हर्षवर्द्धन ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

"यह सदन संकल्प करता है कि विभिन्न व्यावसायिक समूहों के रूप में काम करने वाले लोगों की बीमारी एवं शारीरिक क्षति को रोकने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाये, क्योंकि इन समूहों के रूप में काम करने वाले इन्सानों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की अवहेलना करने से अर्थव्यवस्था एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।"

स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकार किया गया ।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

4.58 बजे

(ब) श्रीमती किरण चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

"यह सदन संकल्प करता है कि सरकार उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के मेधावी और मेरिट प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने हेतु, ऐसे छात्रों के माता-पिता/अभिभावक की आय को नजरअंदाज करते हुए, पर्याप्त और उचित छात्रवृत्ति प्रदान करने और यदि ऐसे छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनकी शिक्षा का खर्च वहन करने की योजना बनाये ।"

शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री मुकेश शर्मा ने श्रीमती किरण चौधरी के संकल्प पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

कि "योजना बनाई जाये" शब्दों के बाद निम्नलिखित भी जोड़ा जाये -

"और वर्ग,धर्म,जाति के आधार पर बगैर कोई भेद-भाव किये इस छात्रवृत्ति की योजना में सभी श्रेणियों के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को भी शामिल किया जाये ।"

निम्नलिखित रूप में संशोधित संकल्प मतदान के लिये रखा गया-
"यह सदन संकल्प करता है कि सरकार उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के मेधावी और मेरिट प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने हेतु वर्ग,धर्म,जाति के आधार पर बगैर कोई भेदभाव किये, ऐसे छात्रों के माता-पिता/अभिभावक की आय को नजरअंदाज करते हुए,पर्याप्त और उचित छात्रवृत्ति प्रदान करने और यदि ऐसे छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनकी शिक्षा का खर्च वहन करने की योजना बनाये ।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

5·15 बजे

§सी§ श्री मुकेश शर्मा ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-
"यह सदन संकल्प करता है कि राजधानी की सभी अनधिकृत बस्तियों को स्व·श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1976 में बनाई गई नीतियों के अंतर्गत अविलम्ब नियमित करके उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री जिले सिंह

2· श्री शीश पाल

3· श्री साहब सिंह चौहान

4· श्री राधेश्याम खन्ना

5· श्री महाबल मिश्रा

6· श्री राम सिंह नेताजी

7· श्री शोएब इकबाल

8· श्री अमरीश सिंह गौतम

स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संशोधन

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री रमेश कुमार ने श्री मुकेश शर्मा के संकल्प पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"कि संकल्प के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं-

"और इन कालोनियों के नियमन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाये, जिसमें सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को भी शामिल किया जाये ।"

संशोधन ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री साहब सिंह चौहान ने संशोधन प्रस्तुत किया कि संकल्प में निम्नलिखित जोड़ा जाये -

"और दिल्ली की तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 1994 में विधान सभा द्वारा स्वीकृत 1071 कालोनियों को तुरन्त नियमित किया जाये ।"

संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकार किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने फिर श्रीमती किरण वालिया को अपना निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करने के लिये कहा :-

"कि मार्च, 1998 तक बसी सभी अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये ।"

तथापि, सदस्य ने अपना संशोधन वापस ले लिया ।

निम्नलिखित संशोधित रूप में संकल्प को मतदान के लिये रखा गया-

"यह सदन संकल्प करता है कि राजधानी की सभी अनधिकृत बस्तियों को स्व·श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1976 में बनाई गई नीतियों के अंतर्गत अविलम्ब नियमित करके उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध

कराई जाये और इन कालोनियों के नियमन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाये, जिसमें सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को भी शामिल किया जाये ।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

अप·6·07 बजे

(सदन सोमवार, 12 अप्रैल, 1999 को अपराह्न 2·00 बजे तक के लिये स्थगित किया गया ।)

दिल्ली;
9 अप्रैल, 1999

एस·के·शर्मा
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

Bulletin Part-I

(Brief Record of Proceedings)

Friday, April 09. 1999/Chaitra 19, 1921 (Saka)

NO.16

2.00 PM **Starred Questions**

1. Starred Question Nos.221 to 228, 230 and 231 and Supplementaries thereto were orally asked and answered.

Replies to Starred Question Nos. 229 and 232 to 240 were laid on the Table of the House.

Unstarred Questions

2. Replies to Unstarred Question Nos.427 to 452 were laid on the Table of the House.

3.00 PM **Papers Laid**

3. Shri Mahinder Singh Saathi, Minister of Finance laid on the Table of the House a copy each of the following documents:

1. Appropriation Accounts of Government of NCT of Delhi for the year 1997-98.
2. Finance Accounts of the Government of NCT of Delhi for the year 1997-98.
3. C&AG Report for the year ending 31st March, 1998.

3.01 PM **Privilege Motion**

4.

(a) Shri Harsharan Singh Balli sought to know the fate of his notice of breach of privilege against Shri Bhishm Sharma, who, he said, had attempted to assault him in the House on 8 April and had also dismantled his mike. When the Chair informed the member that under Rule 68, member needs to be given an opportunity of hearing, the opposition members insisted that as the incident took place in the House itself, giving opportunity to the member was not very necessary. The Chair, therefore, referred the matter to the Committee of Privileges for examination, investigation and report.

3.08 PM (b) Shri Ajay Maken also sought information about his notice of breach of privilege against Prof. Mukhi, for casting serious reflections on the Speaker in a statement which was published in some newspapers.

Cont'd.......2

The Chair informed that this matter may also be looked into by the Privileges Committee.

3.21 PM

Walk Out by Opposition Members

The BJP Members, not satisfied with the ruling, staged a walk out.

3.27 PM

Special Mentions

5. Following members raised matters under Rule 287:

1. Shri Veer Singh
2. Shri Jai Bhagwan

(Minister of Health intervened in the matter)

3. Shri Nand Kishore Garg
4. Shri Naresh Gaur
5. Shri Mohan Singh Bisht
6. Shri Sushil Chaudhry
7. Shri Harsharan Singh Balli

(Chief Minister intervened in the matter).

8. Shri Subhash Chopra

3.55 PM

Private Members' Bill

6. Smt. Kiran Choudhry introduced 'The Delhi Population Control Bill, 1999', on leave being granted by the House.

4.30 PM

Private Members' Resolutions

7.

(a) **Dr. Harsh Vardhan moved the following Resolution:**

"This House resolves that with a view to prevent illness and physical injury of people in various occupational groups, the health services be strengthened because the neglect of their health, security and welfare creates a serious negative impact on economy and development".

Minister of Health replied.

The Resolution was put to vote and negatived.

BJP Members walked out in protest.

Cont'd....3

4.58 PM (b) **Smt. Kiran Choudhry moved the following Resolution:**

"This House resolves that with a view to reward and motivate the brilliant and meritorious students of Secondary and Senior Secondary level, the Government should launch a scheme; (i) to provide adequate incentives/scholarship; and (ii) to fund their higher education if they go in for it notwithstanding the income of their parents/guardians".

Minister of Education replied.

With the permission of the Chair Shri Mukesh Sharma moved the following amendment to the Resolution moved by Smt. Kiran Choudhry:

"that after the words 'launch a scheme', the following may also be added:

". without taking into account the basis of class, religion and caste, meritorious students of all the categories may also be included in this scholarship scheme only on the basis of eligibility without any discrimination".

The Resolution in the following amended form was then put to vote:

" This House resolves that with a view to reward and motivate the brilliant and meritorious students of Secondary and Senior Secondary level, the Government should launch a scheme . without taking into account the basis of class, religion and caste, meritorious students of all the categories may also be included in this scholarship scheme only on the basis of eligibility without any discrimination, to: (i) provide adequate incentive/scholarship; and (ii) fund their higher education if they go in for it notwithstanding the income of their parents/guardians".

The Resolution was adopted unanimously.

5.15 PM (b) **Shri Mukesh Sharma moved the following Resolution:**

"This House resolves that as per the policies framed by Late Smt. Indira Gandhi in 1976, all unauthorised colonies in the NCT of Delhi be regularised and basic amenities provided therein"

Following members took part in the debate:

1. Shri Jile Singh
2. Shri Shish Pal
3. Shri Sahab Singh Chauhan
4. Shri Radhey Shyam Khanna
5. Shri Mahabal Mishra
6. Shri Ram Singh Netaji
7. Shri Shoaib Iqbal
8. Shri Amrish Singh Gautam

Minister of Health replied to the debate.

Amendment

With the permission of the Chair Shri Ramesh Kumar moved the following amendment to the Resolution of Shri Mukesh Sharma:

'that the following words may be added at the end of the Resolution':

"and that with a view to accelerate the process of their regularisation a high powered Committee be constituted which may include top officers of all departments and legal experts".

The amendment was adopted by voice vote.

Shri Sahab Singh Chauhan then moved the amendment that the following may be added to the Resolution:

"and that 1071 colonies which were resolved in 1994 to be regularised by the Vidhan Sabha during the tenure of previous Government may be regularissed forthwith".

The amendment was put to vote and negatived.

The Chair then asked Smt. Kiran Walia move her following amendment:

" that civic amenities be extended to all those unauthorised colonies which have come into existence upto March, 1998".

The member, however, withdrew her amendment.

The resolution in the following amended form was then put to vote:

" This House resolves that as per the policies framed by Late Smt. Indira Gandhi in 1976, all unuthorised colonies in the NCT of Delhi be regularised and basic amenities provided therein and that with a view to accelerate the process of their regularisation a High Powered Committee be constituted which may include top officers of all departments and legal experts".

The Resolution was adopted unanimously.

Cont'd....5

6.07 PM *(The House was adjourned till 1400 hours on Monday, April 12, 1999).*

S.K. SHARMA
SECRETARY

DELHI

APRIL 09, 1999